

①

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

// चतुर्थ निविदा आमंत्रण सूचना //

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय देवास के भवन में निर्मित कैंटीन का संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति जिला न्यायालय देवास के भवन में निर्मित कैंटीन का संचालन करना चाहती/चाहता है, वे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के कार्यालय में कार्य दिवस के दौरान निविदा के संबंध में आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तों के अनुसार सीलबंद निविदा अंतिम तिथि **20.03.2025 को दोपहर 03:00 बजे** तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समायावधि उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा दिनांक 21.03.2025 को निविदाकर्ता/उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष सायं 05:00 से 06:00 बजे के मध्य खोली जावेगी। नीलामी की प्रक्रिया दिनांक 22.03.2025 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक की जाएगी।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही विस्तृत निविदा दस्तावेज को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in/tenders एवं districts.ecourts.gov.in/india/mp/dewas/tender पर देखा जा सकता है।

sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

कैटीन संचालन हेतु निविदा फॉर्म

निविदाकर्ता का नाम

पता

मोबाईल नंबर

आधार कार्ड नंबर

पैन कॉर्ड नंबर

उक्त कार्य का अनुभव

संस्था का रजिस्ट्रेशन

संस्था का जी.एस.टी. नंबर

(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

नियम और शर्तें :

01. अनुबंध की अवधि अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। अनुबंध अवधि में कैटीन संचालन का कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अनुमोदन उपरांत अनुबंध अवधि 01-01 वर्ष अधिकतम 02 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी।

02. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ निविदा फार्म का मूल्य रुपये 1000/- OTC चालान द्वारा शासकीय मद 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, 800 में जमा कर मूल रसीद प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा को विचार में नहीं लिया जाएगा। आवेदन-पत्र की राशि रुपये 1,000/- किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

03. निविदाकर्ता को निविदा दो सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें से एक लिफाफे पर अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट व निविदा प्रपत्र के मूल्य का चालान का उल्लेख करना होगा, जिसमें पर 5000/- रुपये का

2/11/22

“अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट” का डिमाण्ड ड्राफ्ट व निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1000/- OTC चालान रखा जाएगा एवं दूसरे लिफाफे में “निविदा प्रपत्र” का उल्लेख करना होगा, जिसमें निविदा प्रपत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेज रखे जाएंगे। निविदा प्रपत्र, नियम और शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना होगा।

04. मात्र उन्हीं निविदाकर्ताओं की निविदा मान्य की जाकर नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाएगा जो अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट देवास में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय “प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास” के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे।

05. सफल निविदाकर्ता का अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि अनुबंध समाप्ति के पश्चात् वापस कर दी जावेगी। शेष निविदाकर्ता जिनकी निविदा असफल होगी, उनकी राशि निविदा की चयन प्रक्रिया के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।

06. नीलामी प्रक्रिया अनुसार निविदा उन बोलीदाताओं के बीच स्वीकार की जाएगी, जो इस निविदा के तहत वार्षिक लाईसेंस शुल्क के लिए उच्चतम राशि की बोली लगाएंगे।

07. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उस सफल निविदाकर्ता को बोली लगाने के 07 दिवस के भीतर या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक 06 माह पूर्ण होने की दिनांक से 15 दिवस पूर्व तक अनिवार्यतः जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

08. कैंटीन संचालन का समय कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक होगा तथा अवकाश दिवसों में आवश्यकतानुसार कैंटीन का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के निर्देशानुसार करना होगा।

09. निविदाकर्ता खाद्य/पेय पदार्थों की सूची संबंधित दरों के साथ, जो वे कैंटीन में उपलब्ध कराएंगे, निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करेंगे।

2/11/14
2/11/14

10. निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन हेतु पृथक से बिजली और पानी के शुल्क का भुगतान वास्तविक खपत के अनुसार संबंधित विभाग/संस्थान को करना होगा तथा कनेक्शन स्वयं के नाम पर लेना होगा।

11. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को अधिकार होगा कि निविदाकर्ता द्वारा परिसर की साफ-सफाई उचित रूप से न किये जाने व खाद्य वस्तु की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखे जाने पर 100/- रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सके।

12. निविदाकर्ता को कैंटीन संचालन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उप-किराये पर देने, सौंपने या अधिकृत करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा करने पर परफार्मेंस गारण्टी जप्त कर अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

13. निविदाकर्ता कैंटीन के रखरखाव के लिये जिम्मेदार होगा, हर समय पूर्ण स्वच्छ और स्वच्छस्थिति और सक्षम प्राधिकारी या/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास द्वारा लगाए गए किसी भी/सभी दंड के लिये जिम्मेदार होगा।

14. यदि निविदाकर्ता के पास सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संगठन या सार्वजनिक/निजी संस्थान/संगठन अस्पतालों आदि में कैंटीन चलाने का अनुभव है, तो ऐसे निविदाकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी।
(दस्तावेज संलग्न करें)

15. निविदाकर्ता नगर निगम और कैंटीन चलाने के लिये आवश्यक अन्य सक्षम अधिकारियों से प्रमाण-पत्र/लाईसेंस प्राप्त कर निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। **(दस्तावेज संलग्न करें)**

16. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकर्ता को अपने स्थापना के पंजीयन का प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीयन (यदि लागू हो तो) का प्रमाण-पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा **(दस्तावेज संलग्न करें)**

20/11/15

17. कैटीन कक्ष के पास स्थित खुले स्थान पर निविदाकर्ता का कोई अधिकार नहीं होगा।

18. निविदाकर्ता को लाईसेंस प्राप्त परिसर/क्षेत्र के अनन्य कब्जे में माना जाएगा और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को कैटीन परिसर का निरीक्षण करने के लिये कार्य अवधि के दौरान किसी भी समय परिसर में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

19. निविदाकर्ता द्वारा उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल/सब्जियों की गुणवत्ता अच्छी/ताजा गुणवत्ता की होनी चाहिए और नियम, कानून और विनियमों के अनुसार लागू होना चाहिए। विक्रेता को समय-समय पर लागू होने वाले निविदा दस्तावेज और कानून के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा बनाए रखने के लिये घोषणा/वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी, जिसका उल्लंघन बिना सूचना के लाईसेंस की समाप्ति के लिये आधार होगा।

20. निविदाकर्ता द्वारा कैटीन के उपयोग हेतु नाश्ता/अन्य सेवाओं की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच की जाएगी और असंतोषजनक पाए जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताये लाईसेंस किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के पास बिना किसी सूचना के भी आवश्यक समझे जाने पर जुर्माना लगाने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।

21. निविदाकर्ता द्वारा उपयोग किये जा रहे कॉकरी और खाना पकाने के बर्तन आदि हमेशा अच्छी स्थिति में एवं अच्छी गुणवत्ता के रखना होंगे।

22. निविदाकर्ता के सभी नियुक्त कर्मचारी स्वच्छ एवं उचित वर्दी पहनेंगे तथा आई.डी. कार्ड निविदाकर्ता द्वारा प्रदान किया जाएगा।

23. कैटीन परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिये नहीं किया जाएगा। किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति को रात में कैटीन में रहने/काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

24. कैटीन में कामगारों के आचरण/चरित्र/पूर्ववृत्त और उचित आचरण एवं व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। निविदाकर्ता को बिना

25/11/23



आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारी नियोजित करना होगा। नियोजित कर्मचारी किसी प्रकार का नशा न करते हो, यह निविदाकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। निविदाकर्ता को अपने सभी कर्मचारियों (स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक) का आवश्यक विवरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को प्रदान करना होगा।

25. निविदाकर्ता को सदैव आदेश देने में समय की पाबंदी बनाये रखनी चाहिए। निविदाकर्ता को आवश्यकता पड़ने पर संगोष्ठियों और बैठकों में नाश्ते/दोपहर के भोजन/रात्रिभोज की विशेष व्यवस्था भी करनी होगी।

26. निविदाकर्ता प्राप्त परिसर को अच्छी स्थिति में बनाये रखेगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यदि निविदाकर्ता या उसके कर्मचारियों या आपूर्तिकर्ता द्वारा परिसर को कोई नुकसान होता है, तो उसकी मरम्मत निविदाकर्ता द्वारा या तो क्षति को ठीक करके या निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित नगद खर्चों का भुगतान कर की जाएगी। किसी भी प्राकृतिक आपदा या निविदाकर्ता एवं उसके कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई क्षति के लिये निविदाकर्ता से शुल्क लिया जाएगा।

27. निविदाकर्ता द्वारा प्राप्त परिसर का उपयोग केवल कैंटीन के व्यवसाय को चलाने के लिये किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जाएगा।

28. निविदाकर्ता कैंटीन परिसर में न तो कोई खतरनाक सामान, प्रतिबंधित/अवैध/विषाक्त सामग्री, पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और शराब आदि विक्रय नहीं करेगा।

29. निविदाकर्ता बिना अनुमति के इलेक्ट्रिक हीटर या अन्य किसी भारी शुल्क वाले बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।

30. जल संकट होने पर निविदाकर्ता को अपने खर्च पर पानी की टंकी की व्यवस्था करनी होगी।

B. Kumar
27/11/15

31. निविदाकर्ता द्वारा परिसर की सुरक्षा हेतु अग्नि विनियम के अनुसार रसोई में अग्निशामक उपकरण स्थापित करेगा और परिसर को हानिरहित रखेगा और निविदाकर्ता या उसके कर्मचारियों की ओर से किसी संपत्ति या कर्मचारियों की ओर से आग, चोरी या लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी क्षति के लिये क्षतिपूर्ति करेगा। परिसर में किसी प्रकार की क्षति/हानि होने की स्थिति में उक्त नुकसान की भरपाई निविदाकर्ता को करना होगी। निविदा की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

32. निविदाकर्ता उक्त परिसर में कोई परिवर्धन या परिवर्तन या संरचनात्मक मरम्मत नहीं करेगा। केवल ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन या मरम्मत जो आवश्यक हैं और स्थायी प्रकृति के नहीं हैं, निविदाकर्ता द्वारा किये जाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन वह भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास की पूर्व स्वीकृति/अनुमति के साथ।

33. निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में सफाई के मानक, उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को न बनाये रखने की स्थिति में परफार्मेंस गारण्टी, अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट जप्त किया जावेगा एवं उक्त राशि समायोजन योग्य नहीं होगी।

34. प्रशासकीय समिति सफल निविदाकर्ता के कैंटीन का निरीक्षण कर सकती है और काम करने के अनुभव के समर्थन में सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट पके हुये सामान की तैयारी की जाँच कर सकती है।

35. कैंटीन से संबंधित मामलों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास का निर्णय अंतिम और निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

36. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को किसी भी समय कैंटीन की रसोई में जाने का अधिकार है ताकि निविदाकर्ता द्वारा देखी जा रही स्वच्छता की स्थिति को सत्यापित किया जा सके।

37. निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज में उल्लेखित वस्तु के अलावा किसी अन्य वस्तु को जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यदि निविदाकर्ता किसी वस्तु

25/11/25

को सूची में जोड़ना चाहता है, तो उसे मद एवं उनकी दरों सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास की अनुमति लेनी होगी।

38. लाईसेंस की उक्त अवधि या अवधि की समाप्ति या उसके पूर्व समाप्ति पर, निविदाकर्ता लाईसेंस प्राप्त परिसर के खाली कब्जे को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को उसी स्थिति में शांतिपूर्वक सौंप देगा। निविदाकर्ता की अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् परिसर में उसके कब्जे को एक अतिचार के रूप में माना जाएगा और वह आगे नुकसान का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

39. निविदाकर्ता एक शिकायत पुस्तिका रखेंगे, जो उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो कोई भी शिकायत दर्ज करने की इच्छा रखता है, उपलब्ध करायी जायेगी और जिसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किये जाने पर निविदाकर्ता को पेश करना होगी।

40. कैटीन संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही तक अधिकतम 03 माह तक उसी प्रीमियम राशि पर वर्तमान कैटीन संचालक को कैटीन का संचालन करना होगा।

41. निविदाकर्ता ग्राहकों से किसी तरह का वाद-विवाद नहीं करेगा। निविदाकर्ता अथवा उसके नियोजित कर्मचारियों द्वारा परिसर में आने वाले न्यायाधीश, कर्मचारी, अभिभाषक, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, पक्षकारों, ग्राहक से किसी भी भौति दुर्व्यवहार व हिंसा करते पाए जाने पर एवं साथ ही महिलाओं, विकलांगों व बुजुर्गों के प्रति अनादर व असहयोग करते पाए जाने पर अर्नेस्ट मनी एवं परफार्मेस गारण्टी की राशि जप्त कर ली जावेगी।

42. सफल निविदाकर्ता को परफार्मेन्स गारण्टी के रूप में रुपये 40,000/- की सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) प्रस्तुत करना होगी। परफार्मेस गारण्टी के रूप में जमा राशि सफल निविदाकर्ता को अनुबंध अनुसार कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध समाप्ति के 60 दिवस उपरांत (एफ.डी.आर. पर प्राप्त ब्याज पर सहित) लौटाई जावेगी। सफल निविदाकर्ता अथवा उसके कर्मचारी द्वारा कैटीन कक्ष में किसी प्रकार का नुकसान किये जाने की स्थिति में नुकसान का व्यय परफार्मेन्स गारण्टी के रूप में जमा राशि से किया जाएगा।

*Bhavin
umar*

43. सफल निविदाकर्ता को अनुबंध निष्पादन करना होगा। अनुबंध निष्पादन का समस्त व्यय सफल निविदाकर्ता द्वारा ही वहन किया जाएगा।

44. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा स्वीकृति आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादित न करने की दशा में अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी।

कार्य का आवंटन – खुली नीलामी

अ. जिला एवं सत्र न्यायालय देवास के कैंटीन का संचालन हेतु निविदाकर्ता के चयन का आधार वार्षिक लाईसेंस फीस के लिये खुली नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वाला निविदाकर्ता होगा।

ब. नीलामी दिनांक 22.03.2025 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक की जाएगी। उन्हीं निविदाकर्ताओं को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी जो अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करेंगे और जो निविदा की न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते होंगे।

स. निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने के लिये अपने अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकार-पत्र जारी करना होगा। अधिकार-पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

द. कैंटीन संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिये दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुए निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होना, जिसकी सूचना प्रधान जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। समिति का निर्णय निविदाकर्ता को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

विवाद का निपटारा :-

कोई विवाद होने पर ऐसा प्रश्न/विवाद सर्वप्रथम प्रशासनिक अधिकारी के संज्ञान में लाया जावेगा, जो आवश्यकता प्रतीत होने पर निराकरण हेतु जिला

Handwritten signature

रजिस्ट्रार/प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग अथवा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संदर्भित करेंगे।

मध्यस्थता खण्ड :-

सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कैंटीन संचालन का कार्य, सामग्री की गुणवत्ता अथवा किसी प्रकार का कोई प्रश्न, दावा, अधिकार, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध अनुमान, निर्देश, आदेश या इन शर्तों से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी तरह से या अन्यथा कार्य या निष्पादन या इसे निष्पादित करने में विफलता से संबंधित है चाहे वह कार्य की प्रगति के दौरान या पूरा होने या उसके परित्याग के बाद उत्पन्न हो, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास या उनके द्वारा अधिकृत को संदर्भित किया जा सकेगा।

अजय प्रकाश मिश्र

(अजय प्रकाश मिश्र)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)